(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3703–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–09–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 20/निगरानी/2012–13.

.....

1–केशवसिंह पुत्र गब्बर सिंह

2–नेनसिंह पुत्र गब्बर सिंह

3–शिवदयाल पुत्र गब्बर सिंह

4–अजबसिंह पुत्र गब्बरसिंह

निवासी गण ग्राम गिरगांव तहसील व

जिला ग्वालियर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–राजकुमार सिंह पुत्र गब्बरसिंह

2–वीरेन्द्रसिंह पुत्र गब्बरसिंह

निवासी गण ग्राम गिरगांव तहसील व

जिला ग्वालियर म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक– आवेदकगण

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 3/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–09–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 13 पर दिनांक 10–6–05 को आदेश पारित कर उभयपक्ष के स्वामित्व की ग्राम गिरगांव स्थित भूमियों का बटवारा किया गया । तहसीलदार के बटवारा आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15–11–12 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–9–14 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदकगण द्वारा अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी, परन्तु उनके द्वारा विलम्ब के संबंध में आदेश पारित नहीं कर गुणदोष पर आदेश पारित करने में क्षेत्राधिकार विहिन कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन नहीं किया गया है और ना ही अभिलेख में आयी साक्ष्य को देखा गया है। लिखित बह समें यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्ष 1980 में अनावेदकगण द्वारा सर्वे नम्बर 259/मिन व 260 रामदीन व मातादीन को कय की गई है, परन्तु उनकी ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि अनावेदकगण वर्ष 1980 में नाबालिग थे और नाबालिग की भूमि कय नहीं की जा सकती है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस वैधानिक बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया गया है,

कि उभयपक्ष आपस में सगे भाई है और प्रश्नाधीन भूमि पैतृक भूमि है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष की सहमति से ही विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है और सहमति से नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया जा सकता है । अंत में लिखित तर्क में उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है जबकि नामान्तरण पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बने बटवारा नियमों के अन्तर्गत फर्द बटवारा तैयार किया जाकर उस पर आपत्ति आंमत्रित की जाकर बटवारा आदेश पारित किया जाता है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा राजस्व मण्डल के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में समय सीमा पर विचार नहीं करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा बिना अनावेदकगण की सहमति के बाला–2 बटवारा आदेश पारित कराया गया हे जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य बिन्दु जिसके आधार पर प्रश्नाधीन दोनों न्यायालयों द्वारा तहसील की बटवारा कार्यवाही निरस्त की गई है वह सर्वे नम्बर 259/260 है जो अनावेदक के अनुसार उनकी स्वअर्जित संपत्ति होकर बटवारे का भाग नहीं होना चाहिये । इस संबंध में आवेदक अभिभाषक ने इस न्यायालय में अनावेदक पक्ष द्वारा दायर दीवानीवाद में बताई उम्र का प्रमाण (सत्यप्रतिलिपि) पेश किया जिसके अनुसार 1980 में जबकि उन्होंने कथित तौर पर 259/260 नम्बर की

भूमि क्रय की थी, उनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष तथा 12 वर्ष की थी । स्पष्टतः यह उस समय उनकी स्वअर्जित भूमि न होकर उनके नाम से क्रय पारिवारिक भूमि ही मानी जायेगी । अतः तहसीलदार ने उक्त भूमि को बटवारे में शामिल करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने यह तथ्य देखा नहीं है इसलिये तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–09–2014 तथा अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2009 निरस्त किये जाते हैं । तहसीलदार तहसील मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–6–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर